27486/21

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

N.K. NAUSHAD E-STAMP VENDOR
LICENCE No. 281
SADAR, LUCKNOW

Certificate No.	:	IN-UP37096719548281T
Certificate Issued Date	:	18-Nov-2021 12:40 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14348904/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14348904636414728257 99T
Purchased by	:	DEMEURES TROPEZIENNES ENTERPRISES
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	KHASRA NO-461 AND 463, SITUATED AT-VILL-MASTEMAU,PARGANA AND TEHSIL-MOHANLALGANJ,DISTT-LUCKNOW.
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHRI SHANKAR JI MAHARAJ VIRAJMAN SHIVALA
Second Party	:	DEMEURES TROPEZIENNES ENTERPRISES
Stamp Duty Paid By	:	DEMEURES TROPEZIENNES ENTERPRISES
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	2,91,880 (Two Lakh Ninety One Thousand Eight Hundred And Eighty only)

STAMP PAPER USED
Sub Registrar (Mohanlalganj)
Lucknow U.P.

Please write or type below this line

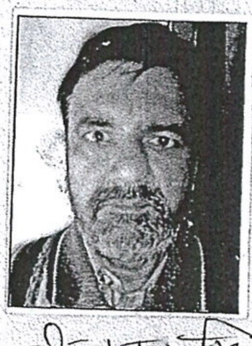

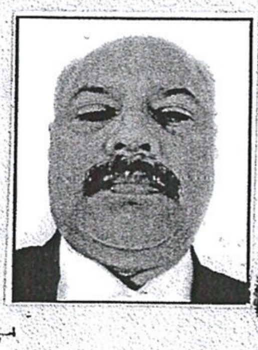

0004162148

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

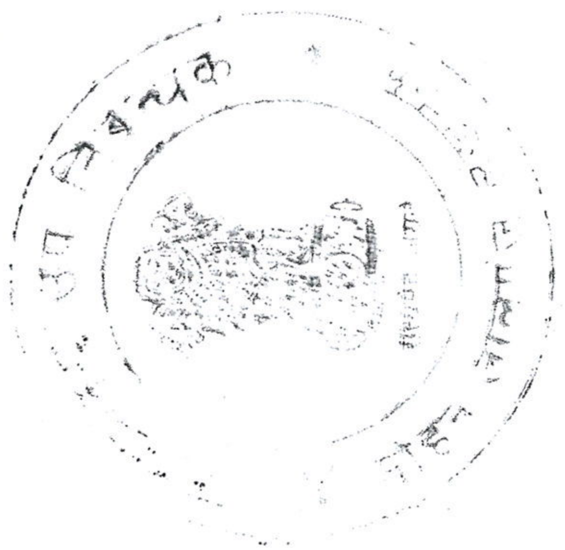

विक्रय मूल्य : रू0 1,45,89,000/-
अग्रिम राशि : रू0 11,00,000/-
स्टाम्प : रू0 2,91,880/-

विक्रय अनुबंध

यह विक्रय अनुबन्ध **श्री शंकर जीं महराज विराजमान शिवाला, स्थित-ग्राम/परगना-मस्तेमऊ (मोहनलालगंज) तहसील-मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ द्वारा प्रबन्धक श्री लक्ष्मीं शंकर मिश्रा पुत्र स्व0 आदित्य प्रसाद मिश्रा निवासीं-ग्राम/परगना-मस्तेमऊ (मोहनलालगंज) तहसील-मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ,** (जिन्हें यहाँ पर प्रथम पक्ष कहा गया है), जिसमें उनके विधिक उत्तराधिकारी, हस्तांतरणकर्ता, निष्पादक नामिनी, इत्यादि सम्मिलित है, जो यहाँ पर **प्रथम पक्ष** है, श्री **डेम्यूरस ट्रोपिजेनिस इण्टर प्राइजेज (*Demeurus Tropiziennes Enterprises*) कार्यालय पता-61एच/2, ओम गायत्रीं नगर, सलोरीं, प्रयागराज-211004 द्वारा पार्टनर अरूण कुमार मिश्रा पुत्र श्रीकान्त मिश्रा** (जिन्हें यहाँ पर द्वितीय पक्ष कहा गया है,) जिसमें उनके विधिक उत्तराधिकारी, हस्तांतरणकर्ता, निष्पादक नामिनी, इत्यादि सम्मिलित है, जो यहाँ पर **द्वितीय पक्ष** है।

यह कि श्री राम दयाल मिश्रा पुत्र स्व0 पंडित मिश्री लाल निवासी-ग्राम/परगना-मस्तेमऊ (मोहनलालगंज) तहसील-मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ ने अपने जमीन पर अपने पैसे से रामलला, शंकर जीं, ठाकुर जीं व राधाकृष्ण के नाम से मंदिरो का निर्माण कर उक्त मंदिरो के नाम से अपनीं जमींन, स्थित ग्राम/परगना-मस्तेमऊ (मोहनलालगंज) तहसील-मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ अपने द्वारा लिखित वसीयत दिनांकित-30.12.

उप निबन्धक

1949 के द्वारा दिया और उनके मरणोंपरान्त भूमि खसरा संख्या–461 रकबा 0.3500 हे0, खसरा संख्या–463 रकबा 0.2660 हे0 व खसरा संख्या–522, रकबा 0.110 हे0, कुल रकबा 0.726 हे0 स्थित–ग्राम/परगना–मस्तेमऊ (मोहनलालगंज) तहसील–मोहनलालगंज, जनपद–लखनऊ **श्री शंकर जीं महराज विराजमान शिवाला स्थित–ग्राम/परगना–मस्तेमऊ (मोहनलालगंज) तहसील–मोहनलालगंज, जनपद–लखनऊ द्वारा प्रबन्धक श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा पुत्र स्व0 आदित्य प्रसाद मिश्रा निवासी–ग्राम/परगना–मस्तेमऊ (मोहनलालगंज) तहसील–मोहनलालगंज, जनपद–लखनऊ**, के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया है।

यह कि उक्त वसीयत दिनांक–30.12.1949 के द्वारा उक्त स्व0 श्री राम दयाल मिश्रा अपने परिवार के इकलौते लड़के को प्रथम पक्ष का प्रबन्धक नियुक्त कर दिया तथा यह व्यवस्था कर दी कि आने वाले समय में परिवार का बड़ा सदस्य ही प्रथम पक्ष का प्रबंधक होगा, जो प्रथम पक्ष मंदिर में पूजा पाठ का इंतजाम व मंदिर की देख भाल करवाता रहेगा और मंदिर की हिफाजत भी करता रहेगा।

यह कि आज के समय में मंदिर/मूर्ति की पूजा पाठ भोग व मरम्मत इत्यादि के लिये अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है एवं मंदिर/मूर्ति की जीर्ण–छीर्ण अवस्था के कारण परिवार के लोगो द्वारा पूजा करने में असुविधा हो रही है एवं मंदिर/मूर्ति की उपरोक्त भूमि की स्थिति ना तो कृषि के योग्य रह गई है और ना ही किसी अन्य कार्य के योग्य रह गई है। जिसको उपयोग में लाने योग्य बनाने के लिए भी काफी धन की आवश्यकता होगी तथा मंदिर की

Arun Kumar Mishra

उप निबंधक ★ मोहनलालगंज

सत्यमेव जयते

भी स्थित अच्छी नहीं रह गयीं है उसको मरम्मत कराने में भी अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी अन्यथा मंदिर स्वतः ध्वस्त हो जायेगा। चूकि मंदिर/मूर्ति की उपरोक्त भूमि खाली पड़ी रहने के कारण उक्त भूमि पर अवैध कब्जे का भय लगा रहता है, यदि उक्त भूमि से प्राप्त धनराशि से कृषि उपयोग वाली भूमि क्रय कर ली जाती है तो उपरोक्त सभी समस्याये दूर हो जायेंगी।

यह कि मंदिर/मूर्ति की जमीन बेचकर उससे प्राप्त पैसे को उचित जगह लगाकर उससे होने वाली आय से मंदिर के काम को पूर्ण कराया जा सके और मंदिर/मूर्ति का पूजा पाठ व भोग इत्यादि सुचारू रूप से चल सके।

यह कि परिवार के सदस्यों **(1) सुभाष शंकर मिश्रा पुत्र स्व0 आदित्य प्रसाद मिश्रा (2) कमलेश्वर नाथ मिश्रा पुत्र स्व0 दया शंकर मिश्रा (3) राजेश्वर नाथ मिश्रा पुत्र स्व0 दया शंकर मिश्रा (4) श्रीमती ममता मिश्रा पत्नी स्व0 चन्द्र प्रकाश मिश्रा व (5) भानु प्रकाश मिश्रा पुत्र स्व0 दया शंकर मिश्रा समस्त निवासीगण–ग्राम/परगना–मस्तेमऊ (मोहनलालगंज) तहसील–मोहनलालगंज, जनपद–लखनऊ** द्वारा पूर्ण सहमति से प्रस्ताव दिनांक– 17.11.2021 के द्वारा पारित कर निष्पादक को अधिकृत किया गया कि वह उक्त **भूमि खसरा संख्या–461 रकबा 0.3500 हे0, खसरा संख्या–463 रकबा 0.2660 हे0 व खसरा संख्या–522, रकबा 0.110 हे0, कुल रकबा 0.726 हे0 स्थित–ग्राम/परगना–मस्तेमऊ** (मोहनलालगंज) तहसील– मोहनलालगंज, जनपद–लखनऊ को बेचें व प्राप्त धन को निवेश करें।

Arun Kumar Mishra

उप निबन्धक

यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि को खरीदने के लिये तैयार हुए और रू0 1,45,89,000/– (एक करोड़ पैतालीस लाख नवासी हजार रूपये) देने का प्रस्ताव रखा जो प्रथम पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। कुल विक्रय मूल्य में से रू0 11,00,000/– (ग्यारह लाख रूपये) प्रथम पक्ष द्वारा, द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया गया है। जिसका विवरण इस अनुबंध पत्र के अंत में दिया गया है।

<u>साक्ष्य के तौर पर यह विक्रय अनुबंध निम्नवत है :–</u>

1. यह कि उपरोक्त अनुबंध व विक्रय मूल्य **रू0 1,45,89,000/– (एक करोड़ पैतालीस लाख नवासी हजार रूपये)** में प्रथम पक्ष **भूमि खसरा संख्या–461 रकबा 0.3500 हे0, खसरा संख्या–463 रकबा 0.2660 हे0 व खसरा संख्या–522, रकबा 0.110 हे0, कुल रकबा 0.726 हे0 स्थित–ग्राम/परगना–मस्तेमऊ (मोहनलालगंज) तहसील–मोहनलालगंज, जनपद–लखनऊ**, जिसका ब्यौरा इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के अन्त में दिया गया है, जिसे यहां पर उक्त भूखण्ड कहा गया है'' को द्वितीय पक्ष के हक में विक्रय करने हेतु सहमत हुए, जिसके लिए प्रथम पक्ष पूर्ण रूप से अधिकृत है।

2. यह कि इस विक्रय अनुबन्ध के द्वारा द्वितीय पक्ष बतौर अग्रिम विक्रय मूल्य धनराशि रू0 11,00,000/– (ग्यारह लाख रूपये) जिसका विवरण इस अनुबंध पत्र के अंत में दिया गया है। प्रथम पक्ष को आज की तारीख में अदा किया और शेष विक्रय मूल्य द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को विक्रय विलेख के निष्पादन व निबंधन के समय दिया जायेगा।

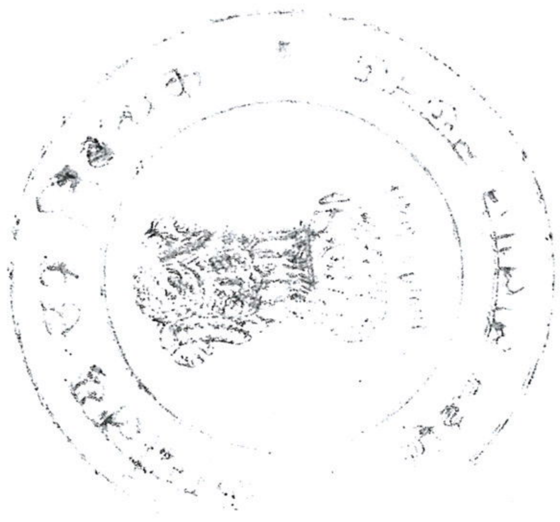

3. यह कि इस विक्रय अनुबंध के समय के दौरान प्रथम पक्ष उक्त भूमि खसरा का किसी भी प्रकार का कोई भी विक्रय, विक्रय अनुबन्ध, बंधक इत्यादि किसी अन्य के पक्ष में नहीं करेगा और उक्त भूखण्ड पर किसी भी प्रकार का भार उत्पन्न नहीं करेगा जिसमें उक्त भूमि को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो।

4. यह कि प्रथम पक्ष उक्त भूमि के विक्रय द्वितीय पक्ष के हक में करने के लिये सक्षम प्राधिकारी/जिला न्यायाधीश लखनऊ/सक्षम न्यायालय से आवश्यक स्वीकृति यदि नियमानुसार आवश्यक हो तो इस अनुबंध के निष्पादन के उपरान्त प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र/वाद डालेगा एवं प्राधिकारी/जिला न्यायाधीश लखनऊ/सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार उसकी सूचना प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को इस विलेख में दिये गये पते पर पंजीकृत डाक द्वारा देगें । उसकी प्राप्ति की तिथि से 12 माह के भीतर द्वितीय पक्ष उक्त भूमि का शेष विक्रय मूल्य अदा कर उक्त भूमि अपने नाम अथवा अपने नामित व्यक्ति के नाम विक्रय विलेख निष्पादित व निबंधित करा लेगा। यदि 12 माह द्वितीय पक्ष उक्त भूमि का शेष विक्रय मूल्य अदा नहीं कर पाता है तो प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को तीन माह का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

5. यह कि प्रथम पक्ष इस बात का आश्वासन देता है कि इस विक्रय अनुबंध पत्र समयावधि के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी सौदा बावत उक्त जमीन किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से नहीं करेगा और समयावधि में उक्त भूखण्ड का विक्रय विलेख शेष विक्रय मूल्य प्राप्त कर द्वितीय पक्ष के हक में अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित कर देगा।

Arun Kumar Mi

कार्यालय उप निबंधक * मोहनलालगंज लखनऊ

सत्यमेव जयते

6. यह कि प्रथम पक्ष आश्वस्त करता है कि उक्त भूमि के बावत उसनें किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से किसी प्रकार का कोई बयाना प्राप्त नहीं किया है और न ही कोई दस्तावेज निष्पादित किया है। उक्त भूमि सभी प्रकार के भारों से पूर्ण तथा मुक्त है।

7. यह कि प्रथम पक्ष यह भी आश्वस्त करता है कि उक्त भूमि पर लगातार काबिज चला आ रहा है और उसके अतिरिक्त किसी अन्य का कब्जा आज की तारीख में विद्यमान नहीं है व विक्रय विलेख के निष्पादन के समय पूर्ण कब्जा द्वितीय पक्ष व उसके द्वारा नामित व्यक्ति को बिना किसी हीला हवाली के सुपुर्द कर देगा। इस विक्रय अनुबंध के द्वारा उक्त भूमि का कब्जा प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को हस्तांरित नहीं किया जा रहा है।

8. यह कि उक्त भूमि का केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा किसी भी जनउपयोग के लिये अधिग्रहीत नही किया गया है और न हीं इसके बावत कोई सूचना प्रथम पक्ष को प्राप्त हुई है। उक्त भूमि आवश्यक अधिग्रहण से पूर्णतया मुक्त है और प्रथम पक्ष उक्त भूमि को पूर्ण स्वामी है और उसे विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यदि उक्त भूमि का केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा किसी भी जनउपयोग के लिये अधिग्रहीत पायी जाती है तो द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अधिकृत जमीन का विक्रय विलेख न कराकर प्रथम पक्ष से अधिकृत जमीन का पैसा वापस लेले या अधिकृत जमीन का सम्पूर्ण मुआवजा द्वितीय पक्ष प्राप्त कर ले इसमे प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

9. यह कि उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार की सरकारी देनदारी नहीं है। इनका राजस्व लगातार सरकारी खजाने में

उप निबन्धक
मोहनलालगंज

जमा हो रहा है किसी भी प्रकार का कोई कर व देनदारी उक्त भूखण्ड पर देय नहीं है। उक्त भूमि सभी प्रकार की देनदारी से मुक्त है।

10. यह कि प्रथम पक्ष विक्रय विलेख के निष्पादन व निबंधन के समय सभी मूल दस्तावेज बावत उक्त भूमि द्वितीय पक्ष को सुपुर्द कर देगा उसके उपरान्त प्रथम पक्ष का भूमि से कोई सरोकार नहीं रहेगा।

11. यह कि इस विक्रय अनुबंध के निष्पादक पूर्ण तरह से अधिकृत निष्पादक है और उन्हें प्रथम पक्ष की ओर से यह दस्तावेज निष्पादित करने के लिये प्रस्ताव दिनांक 17.11.2021 के तहत पारिवार के सदस्यों द्वारा अधिकृत किया गया है एवं वसीयत दिनांक–30.12.1949 द्वारा प्रथम पक्ष स्वतः ही अधिकृत है इस प्रकार उक्त अनुबन्ध के निष्पादक करने का पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त है कि वह उक्त भूमि के बावत आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन द्वितीय पक्ष के हक में करे जिससे उक्त भूमि द्वितीय पक्ष के हक में पूर्णतया हस्तांरित हो जाय।

12. यह कि भूमि विक्रय की आवश्यक स्वीकृत के पश्चात यदि प्रथम पक्ष इस विक्रय अनुबंध की शर्तो को नही मानता है और विक्रय विलेख के निष्पादन व निबंधन में हीला हवाली करता है तो ऐसी दशा में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि इस विक्रय अनुबंध पत्र की शर्तो का पालन सक्षम न्यायालय द्वारा प्रथम पक्ष के खर्चे पर करा ले जिसकी भी पूर्ण जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। इसी प्रकार यदि प्रथम पक्ष इस अनुबंध की शर्तो का पालन करता है और द्वितीय पक्ष विक्रय विलेख अपने या अपने द्वारा नामित व्यक्ति के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित व निबंधित करवाने में हीला हवाली करता है ऐसी दशा में प्रथम पक्ष को यह अधिकार

होगा कि सूचना देकर इस अनुबंध का पालन करने के लिखकर कहे। इसके उपरांत भी यदि द्वितीय पक्ष कोई हीला हवाली करता है तो दोनो पक्ष मिलकर इस विक्रय अनुबंध को निष्क्रिय कराने की कार्यवाही करेंगे।

13. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष आवश्यक विक्रय स्वीकृति व निर्णय सक्षम प्राधिकारी/जनपद न्यायाधीश से प्राप्त करने में जब भी जरूरत होगी एक दूसरे का सहयोग करेगें।

14. यह कि आवश्यक हो तो उक्त दशा में प्रथम पक्ष सक्षम प्राधिकारी/जनपद न्यायाधीश से विक्रय की अनुमति/ निर्णय प्राप्त द्वितीय पक्ष के हक में **भूमि खसरा संख्या–461 रकबा 0.3500 हे0, खसरा संख्या–463 रकबा 0.2660 हे0 व खसरा संख्या–522, रकबा 0.110 हे0, कुल रकबा 0.726 हे0 स्थित–ग्राम/परगना–मस्तेमऊ (मोहनलालगंज) तहसील–मोहनलालगंज, जनपद–लखनऊ** विक्रय विलेख निष्पादित करेगा।

15. यह कि इस विक्रय अनुबंध व विक्रय विलेख के बावत देय स्टाम्प शुल्क, निबंधक शुल्क व अन्य खर्चे द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

16. यह कि इस विक्रय अनुबंध पर रू0 2,91,880/– का अग्रिम स्टाम्प शुल्क, द्वितीय पक्ष द्वारा ई–स्टाम्प सं0–IN-UP37096719548281T दिनांकित 18.11.2021 को द्वितीय पक्ष द्वारा अदा किया जाा रहा है।

<u>अग्रिम विक्रय मूल्य ब्योरा</u>

प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रूपये 11,00,000/– (रूपया ग्यार लाख मात्र) बजरिये चेक चेक सं0–000042, दिनांकित

आवेदन सं०: 202100822034670

विक्रय अनुबंध विलेख (बिना कब्जा)

बही स०: 1 **रजिस्ट्रेशन स०: 27486** **वर्ष: 2021**

प्रतिफल- 14589000 स्टाम्प शुल्क- 291880 अग्रिम राशि- 1100000 पंजीकरण शुल्क - 72950 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 73030

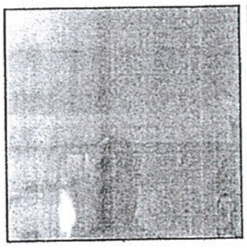

श्री डेम्यूरस ट्रोपिजेनिस इण्टर प्राइजेज के पार्टनटर द्वारा
अरूण कुमार मिश्रा अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री श्रीकान्त मिश्रा
व्यवसाय : अन्य
निवासी: कार्यालय पता-61एच/2, ओम गायत्री नगर, सलोरी, प्रयागराज-211004

श्री, डेम्यूरस ट्रोपिजेनिस इण्टर प्राइजेज के पार्टनटर द्वारा अरूण कुमार मिश्रा अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 20/11/2021
एवं 01:05:02 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अशोक कुमार गुप्ता प्रभारी
उप निबंधक :मोहनलालगंज
लखनऊ
20/11/2021

कमलेश कुमार पाठक
निबंधक लिपिक

20.12.2021, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा–कटरा, इलाहाबाद द्वारा प्राप्ति किया, जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष को स्वीकार है।

भूखण्ड विवरण

भूमि खसरा संख्या–461 रकबा 0.3500 हे0, खसरा संख्या–463 रकबा 0.2660 हे0 व खसरा संख्या–522, रकबा 0.110 हे0, कुल रकबा 0.726 हे0 स्थित–ग्राम/परगना–मस्तेमऊ (मोहनलालगंज) तहसील– मोहनलालगंज, जनपद–लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है :–

खसरा संख्या–461

उत्तर – भूमि खसरा संख्या–462,463

दक्षिण – भूमि खसरा संख्या–470

पूरब – भूमि खसरा संख्या–460

पश्चिम – भूमि खसरा संख्या–464,465

खसरा संख्या–463

उत्तर – भूमि खसरा संख्या–449,450,451

दक्षिण – भूमि खसरा संख्या–461

पूरब – भूमि खसरा संख्या–462

पश्चिम – भूमि खसरा संख्या–464

खसरा संख्या–522

उत्तर – भूमि खसरा संख्या–526

दक्षिण – भूमि खसरा संख्या–521

पूरब – भूमि खसरा संख्या–523, 524

पश्चिम – भूमि खसरा संख्या–515

Arun Kumar Mishra

आवेदन सं०: 202100822034670

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 27486 वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री शंकर जी महराज विराजमान शिवाला के द्वारा लक्ष्मी शंकर मिश्रा त्र, पुत्र श्री स्व0 आदित्य प्रसाद मिश्रा

निवासी: ग्राम/परगना- मस्तेमऊ (मोहनलालगंज) तहसील- मोहनलालगंज, जनपद- लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

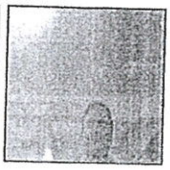

क्रेता: 1

श्री डेम्यूरस ट्रोपिजेनिस इण्टर प्राइजेज के पार्टनटर के द्वारा अरूण कुमार मिश्रा , पुत्र श्री श्रीकान्त मिश्रा

निवासी: कार्यालय पता-61एच/2, ओम गायत्री नगर, सलोरी, प्रयागराज-211004

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री राम कुमार , पुत्र श्री हृदय नारायण

निवासी: हरदीपुर, पोस्ट-सदर, हरदीपुर, जौनपुर, उ0प0।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री सुभाष मिश्रा , पुत्र श्री आदित्य प्रसाद मिश्रा

निवासी: गुजरिया फार्म, मस्तेमऊ, लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

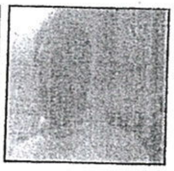

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

अशोक कुमार गुप्ता प्रभारी
उप निबंधक : मोहनलालगंज
लखनऊ

कमलेश कुमार पाठक
निबंधक लिपिक

साक्ष्य के तौर पर प्रथम पक्ष श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा [redacted] व द्वितीय पक्ष ने अपने-अपने हस्ताक्षर इस विक्रय अनुबंध पत्र आज दिनांक-20.11.2021 को लखनऊ में अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

साक्षीगण

प्रथम पक्ष

1.

(राम कुमार)
पुत्र हृदय नारायण
नि0-हरदीपुर, पोस्ट-सदर,
हरदीपुर, जौनपुर, उ0प्र0।
मो0-7860212061

(लक्ष्मी शंकर मिश्रा)
मो0-9670053943
प्रबन्धक
श्री शंकर जी महराज विराजमान शिवाला,

2.

(सुभाष मिश्रा)
पुत्र आदित्य प्रसाद मिश्रा
नि0-गंजरिया फार्म, मस्तेमऊ,
लखनऊ
मो0-8808955777

द्वितीय पक्ष

(अरूण कुमार मिश्रा)
मो0-9451160403
पार्टनर
श्री डेम्यूरस ट्रोपिजेनिस इण्टर प्राइजेज
(Demeurus Tropiziennes Enterprises)

टाइपकर्ता

(पंकज जायसवाल)

मसविदाकर्ता

(रूपेश मिश्रा)
एडवोकेट

आवेदन सं०: 202100822034670

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 13383 के पृष्ठ 71 से 92 तक क्रमांक 27486 पर दिनाँक 20/11/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अशोक कुमार गुप्ता प्रभारी
उप निबंधक : मोहनलालगंज
लखनऊ
20/11/2021